न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37/2026 बउनवानी अशोक कुमार बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
चंदेल पुत्र बजरंगलाल खटीक निवासी ब्रहमपुरी मौहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/59

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.12.2025. को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2025 को दिये गये परिवेदना प्रार्थना पत्र एवं इस पर विभिन्न दिनांक को दिये गये 5 स्मरण पत्रों को जनसुनवायी मे नही लिये जाने के आदेश,नियम,परिपत्रों,गजट की एवं दर्ज परिवाद कमांक 17388 दिनांक 13.10.2025 व 17722 दिनांक 17.10.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना** " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ.13(01)(190)सूकाअ/2025/324 दिनांक 16.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2025 मे चाही गयी सूचना पूर्व अपील संख्या 23/2026 के समान है उक्त सूचना 10 पृष्ठो अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 85 दिनांक 27.1.2026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 170–71 दिनांक 12.2.2026 से पुनः अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कुल 10 पृष्ठो की प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग एवं सम्पर्क अनुभाग से मगवायी जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 85 दिनांक 27.01.2026 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	